अनुसुचित जाति , अनुसुचित जनजाति , अन्य पिछ्ड़ी जाति तथा विकलांग छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृति योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है :

छात्रवृति आवेदन के लिए पात्रता :

- उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी छात्र/छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर संचालित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सकीय / प्रबन्धन संस्थान में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।

- छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो।

- छात्र/छात्रा एक ही शैक्षिणक वर्ष में एक से ज्यादा संस्थानों में अध्ययनरत न हो।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु. 250000/- (रु. दो लाख पचास हजार), अन्य पिछ्ड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 100000/- (रु. एक लाख) तथा विकलांग छात्र-छात्राओं के माता-पिता व अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 44500/- (रु. चौवालीस हजार पांच सौ) मान्य होगी।

- छात्रवृति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय सही संस्थान जिसमे अध्ययनरत हों, को ही चयन करें ।

- **प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31-दिसम्बर-2017 निर्धारित की गयी है।**

- प्रदेश अथवा प्रदेश से बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत छात्र -छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में भरी जानकारी यदि निर्धारित मानकों के अनुरुप है तो संबंधित संस्थान अपने स्तर से छात्र/छात्रा का छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन उस जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगें जिस जिले का छात्र मूल/स्थायी निवासी है ।

- छात्रवृति हेतु पात्र होने की स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृति तथा शुल्क की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० एकाउन्ट में ऑनलाइन स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।

- यह छात्रवृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

- छात्रवृति केवल प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक देय होगी। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में यदि प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो सम्बंधित छात्र/छात्रा को छात्रवृति अगले माह से अनुमन्य होगी।

- अनुसूचित जाति /जनजाति दशमोत्तर छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सर्वप्रथम शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को किया जाता है। इसके उपरान्त जिन छात्रों का प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से हुआ हो , उन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। अशासकीय/व्यावसायिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता देते हुए अशासकीय विद्यालय के छात्रों तथा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत हुआ हो , ऐसे छात्रों को धन की उपलब्धता के आधार पर निर्धनतम छात्र से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ति का सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य में अध्ययनरत पात्र छात्रों को किया जाता है, तदोपरान्त धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखण्ड के अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति फण्ड लिमिटेड योजना है अतः इस योजना के अंतर्गत , तथा उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा परिषद .ई.टी.सी.एन/.आई.सी.एम/ई.टी.सी.आई.ए आदि कोर्सों में अध्ययनरत केवल ऐसे पात्र छात्रछात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा जिनका प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम- छात्राओं का प्रवेश मैनेजमेंट कोटे- से हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिन छात्र फीस प्रतिपूर्ति का/शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं दिया जाता है। छात्रवृत्ति/से हुआ हो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति तदोपरान्त धनराशि की उपलब्धता , सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य में अध्ययनरत पात्र छात्रों को किया जाता है के आधार पर उत्तराखण्ड के अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति का भ ुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

दशमोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा विकलांग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन हेतु स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज -

- माता-पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (छः माह से अधिक पुराना न हो)
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल की अंक तालिका
- पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र
- वर्तमान शैक्षणिक संस्थान का बोना फाइड प्रमाण पत्र
- सी०बी०एस० खाते की बैंक पास बुक
- काउंसलिंग प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति हेतु)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग छात्रवृत्ति हेतु)

- **अनुसूचित जाति अनुसूचित / जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृति निम्न दरों एंव मानकों के आधार पर प्रदान जाती है:-**

छात्रवृति के मानक				अवधि
पाठ्यक्रम	दर प्रतिमाह		माता- पिता की वार्षिक आय सीमा	(अधिकतम)
	हास्टलर	डेस्कालर		
समूह -1	रू. 1200	रु.550	रु.2.50 लाख तक अनुसूचित जाति छात्रों के लिए	प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो अगले माह से छात्रवृति अनुमन्य होगी)
औषधि (एलोपैथिक भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इन्जीनीयरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबन्धन, बिजनेस, वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान वाणिज्यिक पायलट लाईसेन्स (हैलीकाप्टर पायलट तथा मल्टी इंजन रेटिग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम) (एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान)।			रु.2.50 लाख तक अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए	
समूह -2	रू.820	रु.530		
समूह 1 में शामिल न किये गये अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नात्कोत्तर(एम.फिल, पी.एच.डी.तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी.ए./आई.सी.डब्लू ए/सी एस आदि पाठ्क्रम। सभी स्नात्कोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम				
समूह - 3	रू.570	रु.300		

स्नातक या इससे अधिक के डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह 1 तथा 2 में शामिल नहीं किये गये है)				
समूह - 4	रू.380	रु.230		
समूह 2 या 3 में शामिल न किये गये 10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमीडिएट परीक्षा जैसे ग्रेज्युएशन करने से पूर्व के सभी दशमोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई.टी.आई पाठ्यक्रम अन्य व्यवसायिक पाठ्क्रम (यदि पाठ्क्रम में पढने के लिए न्यून्तम अपेक्षित आर्हता कम से कम मेट्रिकुलेशंन हो)				

- **पिछड़ी जाति** के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृति निम्न दरों एंव मानकों के अनुसार प्रदान की जाती हैः-

छात्रवृति के मानक				अवधि
पाठ्यक्रम	दर प्रतिमाह		माता- पिता की वार्षिक आय सीमा	(अधिकतम)
	हास्टलर	डेस्कालर		
समूह -1	रू. 750	रु.350	रु.100000 लाख	प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो अगले माह से छात्रवृति अनुमन्य होगी)

औषधि (एलोपैथिक भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इन्जीनीयरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबन्धन, बिजनेस, वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान वाणिज्यिक पायलट लाईसेन्स (हैलीकाप्टर पायलट तथा मल्टी इंजन रेटिग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम) (एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान)।				
समूह -2	रू.510	रु.335		
समूह 1 में शामिल न किये गये अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नात्कोत्तर(एम.फिल, पी.एच.डी.तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी.ए./आई.सी.डब्लू ए/सी एस आदि पाठ्क्रम। सभी स्नात्कोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम				
समूह - 3	रू.400	रु.210		
स्नातक या इससे अधिक के डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह 1 तथा 2 में शामिल नहीं किये गये है)				
समूह - 4	रू.260	रु.160		
समूह 2 या 3 में शामिल न किये गये 10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमीडिएट परीक्षा जैसे ग्रेज्युएशन करने से पूर्व के सभी दशमोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई.टी.आई पाठ्यक्रम अन्य व्यवसायिक पाठ्क्रम (यदि पाठ्क्रम में पढने के लिए न्यून्तम अपेक्षित आर्हता कम से कम मेट्रिकुलेशंन हो)				

- विकलांग छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की मासिक आय रु० 2000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। विकलांग छात्रवृत्ति हेतु दरें कक्षा 1 से 5 तक रु० 50/- प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक रु० 80/- प्रतिमाह, कक्षा 9 से 10 तक रु० 1 70/- प्रतिमाह, कक्षा 11 से 12 तक रु० 85/- प्रतिमाह, स्नातक कक्षाओं में रु० 125/- प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में रु० 170/- प्रतिमाह निर्धारित हैं।